न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

विविध प्रकरण संख्या 15/14 तारीख रजू 04/08/14

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश गोयल पुत्र विरधीचन्द्र गोयल मैसर्स संरपच पान भंडार बस स्टेण्ड ग्राम पोस्ट मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर निवासी वार्ड नं0 13 ग्राम पोस्ट मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर।
– अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक: 15.3.18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार रामचन्दानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 23/10/13 को 05:20 पी.एम. पर दल के सदस्य श्री नरेश कुमार चेंजारा खाघ सुरक्षा अधिकारी के साथ बस स्टेण्ड मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर में मैसर्स सरपंच पान भंडार पर पहुॅचा। वहां पर श्री श्री ओमप्रकाश गोयल पुत्र विरधीचन्द्र गोयल विक्रेता की हैसियत से खाघ पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर का विक्रय कर रहे थे। उक्त आवेदक ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया और विक्रेता ने मौके पर खाघ अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत की जिसमें विक्रेता ही मालिक होना पाया गया तत्पश्चात् मालिक की उपस्थिति में दुकान का निरिक्षण करने पर फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटड वाटर (एटम एवं मिरिन्डा) जो कि क्रमशः 18 व 14 बोतले 500 मिली व 600 मिली की मात्रा में रखा हुआ था, का निरिक्षण किया गया। निरिक्षण के दौरान स्वीटण्ड कार्बोनेटड वाटर एटोम 500 मिली की 18 बोतले जिन पर बैच नं0 28 बी पैकिग दिनांक 18/05/2013 एवं बेरट बिफोर तीन माह अवधि अंकित थी। जो कि उक्त निरीक्षण दिनांक को अवधि पार हो चुकी थी एवं स्वीटण्ड कार्बोनेटड बाटर मिरिन्डा 600 मिली की 14 बोतले जिन पर बेच नं0 बी 013 पैकिग दिनांक 01/02/13 एवं बेस्ट बिफोर तीन माह अंकित थी, जो कि उक्त निरीक्षण दिनांक को अवधि पार हो चुकी थी।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत स्वीटण्ड कार्बोनेटेड वाटर के नमुने हेतु आवश्यम मात्रा 12 लीटर एक ही बैच व एक ही प्रकार का होना आवश्यक है। अतः खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमुनीकरण कार्यवाही संभव नहीं है क्योकि एटोम की मात्रा 9 लीटर व मिरिन्डा की मात्रा 8.4 लीटर ही थी परन्तु अवधि पार खाघ पदार्थो का विक्रय खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लधंन है तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मालिक श्री ओमप्रकाश गोयल व गवाहान ने भी पढकर समझकर सही मानकर हस्ताक्षर किये।

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रकरण में समस्त दस्तावेजो का अध्ययन करने पर खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लधंन पाये जाने पर जो कि इस अधिनियम की धारा 58 में जुर्माने योग्य अपराध है। अभियुक्त द्वारा अवधिपार खाघ पदार्थो का विक्रय करके खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) का उल्लधंन किया है। जिसका जुर्माना खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्न तलब किया गया। अभियुक्तगण मय वकील उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व वकील अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभियुक्त द्वारा अवधि पार खाद्य पदार्थ का विक्रय करने का दोष साबित है,अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण के जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अभियुक्त की फर्म में खुले स्वीटण्ड कार्बोनेटड बाटर मिरिन्डा 600 मिली की बोतलों का अभियुक्त द्वारा कोई विक्रय नहीं किया जा रहा है। तथा आवेदक द्वारा मोके पर ली गई फर्द रिपोर्ट में भी अंकित नहीं किया है। उक्त पेय पदार्थ का कोई विक्रय किया जा रहा हो तथा ना तो आवेदक ने मौके पर नमूना हेतु उक्त पेय पदार्थ का क्रय किया ना हि जांच करवाई गई। आवेदक ने अपनी फर्द मौका में स्पष्ट लिखा है कि उक्त पेय पदार्थ को एक कट्टे में डालकर सील चपड़ी कर अभियुक्त को संभला दिया गया था, जबकि आवेदक को उक्त पेय पदार्थ का नमूना लेकर पेय पदार्थ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के यहां रखना आवश्यक था।

12/8

आवेदक द्वारा अभियुक्त पर मनगढन्त आरोप लगाये है जो निरर्थक है, साथ ही वकील अभियुक्त ने अनुरोध किया कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का श्रम करे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अभियुक्त द्वारा उक्त पेय पदार्थ स्वीटण्ड कार्बोनेटड बाटर मिरिन्डा 600 मिली किंग में रखी हुई थी ना कि पृथक से पैक करके रखी हुई थी। जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा अवधिपार पेय पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, साथ ही अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ,जिससे स्पष्ट हो कि अभियुक्त द्वारा अवधिपार पेय पदार्थ का विक्रय नहीं किया जा रहा हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 की धारा 27 की उपधारा 3(क) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2006 की धारा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त द्वारा अवधिपार स्वीटण्ड कार्बोनेटड बाटर मिरिन्डा 600 मिली का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के अन्तर्गत 3,000 रूपये (तीन हजार रूपये)की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवादे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.3.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट